बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा के अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २५ मार्च, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

विगत अधिवेशन के बचे हुये अतारांकित प्रश्नों के संबंध में सूचना।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—मैं गत अधिवेशन के १६३ प्रश्नों में से ५२ प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूं। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर समय-समय पर सचिवालय के विभागों से उपलब्ध होने पर रखे जायँगे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर।
UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

संथाल परगना के अफसरों को भत्ता।

१५८। श्री जेठा किस्कू—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) संथाल परगना के किन २ मजिस्ट्रेटों को कितना २ वेतन और भत्ता मिला है ;

(ख) १९५२ साल में प्रत्येक को कितना वेतन और भत्ता मिला ?

डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) एक विवरण मेज पर रखा है। प्रत्येक मजिस्ट्रेट हर महीने जो यात्रा भत्ता लेता है वह नियत नहीं है। वह तो उसके दौरा पर निर्भर करता है।

(ख) एक विवरण पुस्तकालय की मेज पर रखा है।

अधिक पैसा का लिया जाना।

१५९। श्री रामानन्द तिवारी—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि नाथनगर सी० टी० एस० में सिपाहियों के साथ खाने तथा और और सामान खरीदने में ठीकेदार अधिक पैसा लेता है ;

(ख) क्या यह बात सही है कि वहां के सिपाहियों ने कई बार उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया, जिसके चलते भागलपुर के डी० आइ०-जी० जांच में गये थे ;

(ग) क्या यह बात सही है कि डी०-आई० जी० ने उन आरोपों को सही पाया और सिपाहियों को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने इस पर कौन सी कार्रवाई की जिससे सिपाहियों को राहत मिले ?

डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) सी० टी० एस० के रंगरूटों के मेस की वर्त्तमान प्रणाली के अनुसार ठीकेदार जो खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्रियां देता है उनके लिए अधिक कीमत नहीं ले सकता। ठीकेदार महीना भर चावल, दाल आंटा, चना तेल तथा कुछ अन्य वस्तु उधार देता है पर शर्त यह रहती ह कि अगले महीने के पहले हफ्ते में पूरी कीमत चुका दी जाएगी। सब्जी तथा कुछ अन्य वस्तुएं, जिन्हें रोज खरीदना पड़ता

CONSTRUCTION OF A NEW BUILDING FOR KARGAHAR MIDDLE SCHOOL.

*1376. Shri RAGHUNATH PRASAD : Will the Education Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the Managing Committee of the Kargahar Middle School was constituted as per departmental instruction by the Deputy Inspector of Schools, Sasaram, after holding election more than four months back;

(*b*) whether it is a fact that departmental approval of the M. C. has not been sent as yet to the school;

(*c*) whether it is a fact that construction of some rooms of the school could not be taken up despite availability of bricks owing to the non-existence of the newly elected M. C.;

(*d*) if the answers to the above clauses be in the affirmative, the reasons for undue delay in according departmental approval and the action which Government propose to take in the matter ?

Shri BADRINATH VERMA : (*a*) It is true that consequent upon an enbloc resignation of members a new committee was set up near about the 8th December, 1953.

(*b*) The reply is in the negative. The approval of the reconstituted managing committee has been accorded on the 12th February 1954.

(*c*) The reply is partially in the affirmative. The construction of the building cannot be taken up as the previous Secretary did not make over charge of the funds and necessary records.

(*d*) There was no undue delay.

श्री जगन्नाथ सिंह—पुराने सचिव ने कार्यभार सौंपा है या नहीं ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—इसकी खबर नहीं है।

I. A. S. T. C. TEACHERS DEBARRED OF TRAINING BENEFIT.

†*1377. Shri NAND KISHORE NARAIN : Will the Education Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that prior to the introduction of revised scale of pay the I. A. teachers who had completed a "Short Training Course" were considered equal to I. A. Trained for purposes of pay and as such the I. A. S. T. Cs. were allowed a pay of Rs. 50 which was the then scale of pay of I. A. Trained;

†In the absence of the member the answer was given at the requset of Shri Lakshmi Narain Singh.

(*b*) whether it is a fact that after the introduction of the revised scale of pay the I. A. Trained and also most of the I. A. S. T. Cs. were allowed the same scale of pay of Rs. 60;

(*c*) whether it is a fact that I. A. S. T. C. teachers of Jaitpur H. E. School, Rajput H. E. School and Parsagarh H. E. School in Saran district have all been allowed the pay of I. A. Trained;

(*d*) whether it is a fact that in the list showing the different scale of pay for different qualifications the I. A. S. T. C. finds no place with the result that in some cases it is considered equivalent to I. A. Trained and in other cases it is not so treated;

(*e*) whether Government propose to include in the list I. A. S. T. C. as equivalent to I. A. Trained in view of maintaining uniformity, if not the reasons why the teachers possessing the qualification of I. A. S. T. C. are debarred from getting the benefit of their training?

Shri BADRINATH VERMA : (*a*) I. A. teachers with short training courses are not considered equal to I. A. C. Ts. but in absence of I. A. C. Ts. such teachers with short training have been given preference over untrained I. A. teachers. No Government orders have been issued in the past regarding pay scale of I. A. teachers with Short Training Certificates.

(*b*) The scale of pay sanctioned to an I. A. C. T. in the revised scale was Rs. 60—2—80—E.B.—2—100. No scale of pay was sanctioned to an I. A. Short Training Course passed teacher.

(*c*) Enquiry is being made from the school authorities.

(*d*) It is a fact that no separate scale of pay had been sanctioned for I. A. S. T. C. passed teachers.

(*e*) Government have passed orders that those who have successfully completed a Short Training Course of six weeks should be given two increments in the scale of untrained teachers and those who have completed Short Course Training for four months should be given four advance increments in that scale. They are, however, not to be considered enquivalent to Dip-in-Eds. or C. Ts. who have gone through a regular course of training for the full period.

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—खेद (सी०) के जवाब में कहा गया है कि जांच की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कबतक आशा की जाती है कि जवाब मिलेगा।

श्री बदरी नाथ वर्मा—रिपोर्ट आने पर जवाब मिलेगा।

Shri MUNDRIKA SINGH : Is it a fact that I. A. S. T. Cs. and I. A. trained will get the same scale of pay?

श्री बदरीनाथ वर्मा—ग्रौफ-हैंड जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री मुन्द्रिका सिंह—सरकार के विचार से दोनों में क्या अंतर है ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—शोर्ट कोर्स की ट्रेनिंग ६ महीने की होती है और फुल ट्रेनिंग साल भर की होती है, इसलिये दोनों को बराबर नहीं समझा जाता है।

श्री मुन्द्रिका सिंह—क्या यह बात सरकार को मालूम है कि कनडेन्स्ड कोर्स वालों को भी काफी अनुभव रहता है और सरकार की ४ या ६ सप्ताह की जो ट्रेनिंग है उससे आइ० ए० एस० टी० सी० आइ० ए० ट्रेन्ड के बाराबर रहते हैं।

श्री बदरीनाथ वर्मा—गवर्नमेंट ने यह आज्ञा दी है कि जिनको ६ सप्ताह की ट्रेनिंग रहती है उनको दो इनक्रीमेंट दिया जाय और जिनको ६ महीने की ट्रेनिंग रहती है उनको ४ इनक्रीमेंट दिया जाय।

श्री मुन्द्रिका सिंह—जो स्केल फिक्स्ड किया गया उसमें आइ० ए० एस० टी० सी० के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। क्या इसका माने यह है कि उनको पहले जो मिलता था वही मिलेगा ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—ऐसी बात नहीं है।

श्री मुन्द्रिका सिंह—जहां पर आइ० ए० एस० टी० सी० का कोई स्केल नहीं है ?

अध्यक्ष—ज्यों का त्यों रहेगा।

श्री मुन्द्रिका सिंह—पहले आइ० ए० ट्रेंड और आइ० ए० एस० टी० सी० का एक ही स्केल था और अभी आइ० ए० एस० टी० सी० के लिये कुछ नहीं लिखा गया है तो क्या पहले वे जो पाते थे वही पावेंगे ?

श्री बदरी नाथ वर्मा—एक ही स्केल नहीं था। जिसके मन में जितना आता था उतना मुशाहरा देता था। पहले पहल १९४९ में स्केल निश्चित किया गया था। एक ही आदमी को एक जगह कुछ मिलता था और दूसरी जगह कुछ और।

स्थगन प्रस्ताव।

ADJOURNMENT MOTION.

अध्यक्ष—श्री रामानन्द तिवारी ने एक काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी है। आज का दिन इसके लिये नहीं है। नियम १५३(३) के अनुसार आज मेरा अधिकार नहीं है इसको स्वीकार करने का। उस नियम का प्रोविजन यह है कि "............that such consent shall not be given on the last day of the days".